**प्रेस विज्ञप्ति**

**5/2/2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के पूर्व रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) (दिसंबर, 2018 से जून, 2025 के बीच) अरविंद कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 03.02.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया, जिसने 8 दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की है। पूर्व में, पूर्व प्रमोटर और निलंबित प्रबंध निदेशक, संदीप गुप्ता को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

ईडी ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक दुराचार के अपराधों के लिए आईपीसी, 1860 और पीसी अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, , जिसमें आरोपियों द्वारा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराधों को अंजाम देने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने स्वयं को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया और वर्ष 2015 से 2018 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लगभग 236 करोड़ रुपये का भारी नुकसान पहुंचाया।

जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि अरविंद कुमार ने व्यक्तिगत रूप से धन अर्जित किया, जिससे धन शोधन में उनकी प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी स्थापित होती है। समाधान पेशेवर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड से पर्याप्त धन को स्तरित लेनदेन के माध्यम से उन व्यक्तियों और संस्थाओं को भेजा गया जो उनसे निकटता से जुड़े थे, जिनमें उनके अपने व्यावसायिक हितों से जुड़े सहयोगी और कर्मचारी शामिल थे। कॉर्पोरेट देनदार के खातों से इन मध्यस्थों को बड़ी रकम भेजी गई, जिन्होंने तब अरविंद कुमार के व्यक्तिगत बैंक खातों में महत्वपूर्ण राशि वापस स्थानांतरित कर दी। बैंक के रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके व्यक्तिगत खातों में 80 लाख रुपये से अधिक की अस्पष्टीकृत नकद जमा राशि हुई, साथ ही उनके संबंधित पक्षों से 1 करोड़ रुपये से अधिक का क्रेडिट प्राप्त हुआ, जो पहले कंपनी से भुगतान के लाभार्थी थे।

जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि गिरफ्तार आर.पी. मूल बैंक धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध से प्राप्त आगम का लाभार्थी था, जिसने सी.आई.आर.पी.-संबंधी कार्यों के बहाने अवैध धन को वैध प्राप्तियों के रूप में पेश किया।

अब तक की जाँच से गिरफ्तार आर.पी. द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित कार्यप्रणाली का पता चला हैः

- जानबूझकर असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के झूठे और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों को स्वीकार करके अवैध और हेरफेर की गई लेनदारों की समिति (सीओसी) का गठन, उनमें से कई पूर्व-प्रवर्तकों द्वारा नियंत्रित डमी/प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने बैंक धोखाधड़ी की योजना बनाई थी, जिससे निलंबित प्रवर्तकों को निर्णायक मतदान शक्ति सौंपी गई और वास्तविक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लेनदारों को दरकिनार कर दिया गया।
- सी.आई.आर.पी. के दौरान निलंबित निदेशकों से जुड़े संस्थाओं और व्यक्तियों को उप-अनुबंधों, पारिश्रमिक और परिचालन भुगतान के बहाने आर.आई.एल. के करोड़ों रुपयों की लगातार हेराफेरी और हेरफेर को सक्षम किया, जिससे बैंक धोखाधड़ी से शुरू हुई धन शोधन की कड़ी जारी रही।

- पूर्व प्रवर्तकों के साथ मिलीभगत करके उन्हें प्रमुख परियोजनाओं और परिसंपत्तियों पर परिचालन नियंत्रण जारी रखने देना, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को अधिकृत करना, और उन व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने में विफल रहना जो निलंबित निदेशकों के व्यक्तिगत लाभ के लिए मूल्यवान अवसरों और धन को नए गठित संस्थाओं की ओर मोड़ते थे।

- ऑडिट रिपोर्ट में चिह्नित किए गए वरीयता, कम मूल्य, धोखाधड़ी और जबरन वसूली के स्पष्ट संकेतकों के बावजूद, प्रासंगिक आई.बी.सी. प्रावधानों के तहत जानबूझकर बचाव के आवेदन दाखिल नहीं किए गए, जिससे मूल अपराधियों द्वारा अवैध आगम को बनाए रखने और उसका आनंद लेने में सक्षम बनाया गया।

- आई.बी.सी. की धारा 29ए का घोर उल्लंघन करते हुए प्रवर्तक-परिवार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अयोग्य समाधान योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, जिसका स्पष्ट इरादा कंपनी और उसकी संपत्तियों को उन्हीं व्यक्तियों को बहाल करना था जिन्होंने धोखाधड़ी की थी।

- बिना किसी प्राधिकरण या उचित दस्तावेज़ के पार्टियों से कंपनी या उसकी संपत्ति की बिक्री के बहाने करोड़ों रुपये लेना।

उपरोक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आरपी द्वारा पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध में जानबूझकर, सचेत और सक्रिय भागीदारी की गई है, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है। आरपी द्वारा "प्रो-प्रमोटर" षडयंत्र रचने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 94% का भारी नुकसान (हेयरकट) हुआ है। आरआईएल के परिसमापन के बाद बैंकों को 708 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले केवल 40 करोड़ रुपये मिले हैं।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इससे पहले, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) द्वारा संबंधित उल्लंघनों के लिए आर.पी. का पंजीकरण दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।

ईडी इस बात पर जोर देती है कि दिवालियापन ढांचे के इस तरह के कथित दुरुपयोग से न केवल ऋणदाता वसूली और कॉर्पोरेट पुनरुद्धार के उद्देश्य विफल होते हैं, बल्कि वित्तीय और दिवालियापन प्रणालियों में जनता के विश्वास को भी कमजोर किया जाता है। धन के पूर्ण प्रवाह का पता लगाने और सभी शामिल पक्षों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।

आगे की जांच चल रही है।.